न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर अहकाम की तामील हुए
	राज सरकार बनाम हरिराम मु.नं.– 10/25 किस्म – T.B.	
	दिनांक 27.01.26 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	
27.01.26	अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नही हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 12.02.26 को पेश हो।	
12.2.26	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी पक्ष की ओर से तहसीलदार मण्डावर उपस्थित। तहसीलदार मण्डावर द्वारा प्रा.पत्र 1.2 पर बहस हेतु निवेदन किया। प्रा.पत्र 1.1.पर प्रार्थी तहसीलदार मण्डावर की बहस सुनी गई। बहस का मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	12.2.26

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
10/2025	01.07.2025	12.02.2026

बउनवान

राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार मण्डावर, दौसा।

..प्रार्थी/वादी

बनाम

हरिराम पुत्र सुखराम, निवासी रायपुर तहसील मण्डावर, दौसा।

..अप्रार्थी/प्रतिवादी

उपस्थित

1. प्रार्थी – पैरोकार सरकार।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि विवादित आराजी ग्राम सायपुर पटवार हल्का पाखर 2 तहसील मण्डावर जिला दौसा के खाता सं. 98 के खसरा सं. 34/168 रकबा 0.63 हैक्टे. किस्म चाही 2 मुताबिक जमाबंदी अप्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी हल्का पाखर 2 एवं भू.अ.नि. मण्डावर ने दिनांक 09.06.2025 को उक्त खातेदारी भूमि में से 0.01 हैक्टे. भूमि पर रा.प्रा.वि. सायपुर स्कूल का भवन बना हुआ है, इस बाबत् रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उक्त खसरा सं. की कृषि भूमि पर अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जाकर कृषि भूमि का स्वरूप बिगाड दिया है। खातेदारों द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियमों का उल्लंधन किया गया है। अतः खातेदार की खातेदारी समाप्त कर भूमि से खातेदारान को बेदखल कर खातेदारी भूमि को सिवायचक घोषित किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि खातेदारान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा के तहत हानिप्रद कार्य एवं कृषि अयोग्य भूमि करने के कारण बेदखली की शास्ति का दायी व भागीदार है जिससे यह वाद पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हो गया है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा सं. 34/168 रकबा 0.63 हैक्टे. में से 0.01 हैक्टे. भूमि पर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका की यथा स्थिति बनाये रखने एवं खातेदार को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाने की कृपा करें।

2. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थी के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 01.07.2025 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि अप्रार्थी ग्राम सायपुर 2 पटवार हल्का पाखर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

2 तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजी खसरा सं. 34/168 रकबा 0.63 हैक्टे. भूमि में से 0.01 हैक्टे. भूमि के राजस्व रिकॉर्ड तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे।

3. अप्रार्थी को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थी ने न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए इनके जवाब का अवसर बन्द किया गया।

4. प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा प्राथी की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

__212.__ व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

5. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के लिए प्रस्तुत किया गया है। भूमिधारक तहसीलदार मण्डावर के द्वारा उक्त विवादित कृषि आराजी पर अकृषि कार्य होने का कथन किया जाकर धारा 177 के तहत अनुतोष चाहा गया है। अप्रार्थी के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस कारण प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अर्पूणीय क्षति का सिद्धांत प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक विवादित आराजी को अप्रार्थी द्वारा दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुंचाने की स्थिति से बचाने के लिये, वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद रोकने के लिए अप्रार्थी के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर
प्रार्थना पत्र सं. 10/2025 GCMSNo.2025/211
राजस्थान सरकार बनाम हरीराम
निर्णय दिनांक 12.02.2026

आदेश

6. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम सायपुर 2, पटवार हल्का पाखर 2, तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित विवादित आराजी खसरा सं. 34/168 कुल रकबा 0.63 हैक्टे. में से 0.01 हैक्टे. भूमि के संबंध में इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 01.07.2025 को, प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णित होने तक, संपुष्ट (Confirm) किया जाता है तथा अप्रार्थी के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थी विवादित आराजी के वर्तमान मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

7. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 12.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)